

fooj.k	l nHkz	
	çLrj	i "B l a[; k
çkDdFku	-	v
dk; ðkj h l kj	-	vii
v/; k; 1 jkT; l j dkj ds foRr		
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1	1
राजकोषीय लेन-देनों का सारांश	1.2	2
राजकोषीय स्थिति की समीक्षा	1.3	5
राज्य के वित्तीय संसाधन	1.4	8
राजस्व बकाया	1.5	17
संग्रह की लागत	1.6	17
संसाधनों के अनुप्रयोग	1.7	18
शासकीय व्यय एवं निवेश	1.8	25
परिसम्पत्तियाँ एवं देयतायें	1.9	29
ऋण प्रबन्धन	1.10	35
अनुवर्ती कार्यवाही	1.11	36
v/; k; 2 foRrh; çcl/ku , oa ctVh; fu; U=.k		
विनियोग लेखे का संक्षिप्त विवरण	2.1	37
वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन	2.2	38
v/; k; 3 foRrh; fj i kfVx , oa ys[kkvka ij fVli .kh		
वैयक्तिक जमा खाता	3.1	43
उपभोग प्रमाणपत्रों को प्रेषित न किया जाना	3.2	44
लम्बित विस्तृत आकस्मिक बिल	3.3	45
रोकड़ बही का अपूर्ण/अनुरक्षण न किया जाना	3.4	46
रोकड़ अवशेष में भिन्नता	3.5	47

धनराशियों का केन्द्रीय सड़क निधि में हस्तांतरण न किया जाना	3.6	47
ब्याज का समायोजन	3.7	47
राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	3.8	48
भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर	3.9	49
विकास प्राधिकरणों को अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी का अन्तरण	3.10	51
लम्बित प्रकरणों की रिपोर्टिंग	3.11	52
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के प्रोफार्मा लेखे	3.12	53
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के लेखाओं के अन्तिमीकरण में विलम्ब	3.13	54
लाभांश घोषित न किया जाना	3.14	55
इक्विटी/ऋणों का मिलान न किया जाना	3.15	56
लेखाओं में अपारदर्शिता	3.16	56
राज्यों के पुनर्गठन पर अवशेषों का विभाजन	3.17	57
i f j f' k"V; k		
i f j f' k"V 1.1	राज्य का परिदृश्य	59
i f j f' k"V 1.2	शासकीय लेखे का रूप एवं संरचना तथा वित्त लेखे का प्रारूप	61
i f j f' k"V 1.3	वर्ष 2017-18 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	63
i f j f' k"V 1.4	वर्ष 2017-18 के लिए बजट अनुमान, वास्तविक प्राप्तियां एवं व्यय	66
i f j f' k"V 1.5	राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आँकड़े	68
i f j f' k"V 1.6	(अ) वर्ष 2013-18 की अवधि में स्वयं का कर राजस्व (ब) वर्ष 2013-18 की अवधि में स्वयं का करेतर राजस्व	71
i f j f' k"V 1.7	31 मार्च 2018 को सरकार की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त सार	72
i f j f' k"V 1.8	आरक्षित निधियों का विवरण	74
i f j f' k"V 2.1	(अ) वर्ष 2017-18 के व्ययाधिक्य के विनियमितीकरण की आवश्यकता (ब) विगत वर्षों के व्ययाधिक्य के विनियमितीकरण की आवश्यकता	77
i f j f' k"V 2.2	₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की बचत वाले अनुदान/विनियोग	79
i f j f' k"V 2.3	अनवरत बचत वाले अनुदान	81
i f j f' k"V 2.4	प्रकरण, जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	82
i f j f' k"V 2.5	निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग	84
i f j f' k"V 2.6	वर्ष 2017-18 में अत्यधिक धनराशियों का अभ्यर्पण	89
i f j f' k"V 2.7	वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण (₹ 50 लाख या अधिक)	99

i f j f' k"V 2.8	अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जिनमें बचत हुई परन्तु उसका कोई भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया	100
i f j f' k"V 2.9	अभ्यर्पित न की गयी ₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की बचतें	103
i f j f' k"V 3.1	रोकड़ बही अपूर्ण/अनुरक्षण न किया जाना	107
i f j f' k"V 3.2	दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी का वितरण	108
i f j f' k"V 3.3	विभागवार/अवधिवार लम्बित प्रकरणों का विवरण (जिनमें अन्तिम कार्यवाही मार्च 2018 तक लम्बित थी)	109
i f j f' k"V 3.4	चोरी, दुर्विनियोग, हानि एवं गबन के कारण राज्य सरकार को हुई क्षति का विभागवार/श्रेणीवार विवरण	110
i f j f' k"V 3.5	वर्ष 2017-18 में विभागवार निस्तारित/अपलेखित प्रकरणों का विवरण	111
i f j f' k"V 3.6	विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखाओं का अन्तिमीकरण और निवेशों का विवरण	112
i f j f' k"V 3.7	राज्य सरकार द्वारा उन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश जिनके लेखे बकाये थे	113
i f j f' k"V 3.8	लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम से लाभांश	116
i f j f' k"V 4	' kCnkoyh ¼vfrfjDr vk;dM½	
	गणना का आधार	117
	पदों की व्याख्या	118
	प्रथमाक्षरी	119

